

अनुबंध - 2

संकल्प ढांचा -2.0 के तहत समाधान के लिए आवेदन

(मौजूदा एमएसएमई ऋण, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और लघु व्यवसाय ऋण (एमएसएमई के अलावा) के लिए)

(रु. 10 लाख तक के एक्सपोजर वाले मौजूदा ऋण के लिए)

इकाई और स्वत्वधारी(मालिक)/साझेदार /निदेशक/उधारकर्ता का नाम और पता						
गठन	√	स्वामित्व	साझेदारी	प्राइवेट लिमिटेड	लिमिटेड कंपनी	अन्य
संपर्क संख्या	ई-मेल :				लैंड लाइन - दूरभाष : मोबाइल :	
जीएसटीआईएन नंबर और पंजीकरण की तिथि (यदि लागू हो तो)						
उच्चम पंजीकरण संख्या (एमएसएमई के लिए) पंजीकरण की तिथि::						
पीएएन (पैन)						
व्यावसायिक गतिविधि का स्वरूप						

मैंने अपनी उपरोक्त फर्म को चलाने के लिए बैंक से निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है।

खाता संख्या	सुविधा	ऋण सीमा

मुझे वर्तमान में कोविड -19 दूसरी लहर के फिर से उभरने के कारण खाता चलाने में कठिनाई हो रही है। तथापि, मेरी व्यावसायिक गतिविधि अभी भी व्यवहार्य (अर्थक्षम) है और महामारी के प्रभाव के कम होते, निकट भविष्य में नकद उपार्जन अर्जित करने में सक्षम होगी।

इकाई की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निवल बिक्री/अनुमानित बिक्री	निवल लाभ / अनुमानित लाभ
2019-20		
2020-21		
2021-22 (पिछले महीने तक)		

मैं आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि:

- निधिक ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) /कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) /पुनर्मूल्यांकन/अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मंजूरी के ज़रिए सीसी/ओडी सीमाओं के समाधान की व्यवस्था करें।*
- आरबीआई के दिनांक 05.05.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार महीनों की अधिस्थगन अवधि सहित महीनों की चुकौती अवधि व विस्तारित करते हुए हमारी सावधि ऋण किस्तों के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था करें।*
- किसी भी अर्जित ब्याज या अर्जित होनेवाले ब्याज को एफआईटीएलमें परिवर्तित किया जाए।*
- मैं/हम समाधान ढांचा-2.0; एमएसएमई, व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव का समाधान के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम उक्त दिशानिर्देशों के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र हूँ/हैं।
- मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आपको प्रस्तुत मेरे/हमारे आवेदन की विषय-वस्तु, मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि मेरे/हमारे आवेदन में दिए गए किसी भी विवरण को बाद में सही नहीं पाया जाता है, तो बैंक को समाधान ढांचा -2.0 के तहत प्रदान की गई किसी भी/किन्हीं रियायत/रियायतों/लाभ को वापस लेने / बंद करने का अधिकार होगा।

*बैंक के विस्तृत योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन।

तारीख :

स्थान:

उधारकर्ता/ओं के हस्ताक्षर